C32

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स0–8डी0(आयोग)–33–17 / 2017– 69

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद्र पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक– 13/10/2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों,पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹161.26 लाख एवं गैर वेतन ₹ 43.50 लाख अर्थात कुल ₹ 204.76 लाख (दो करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान की निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत

स्वीकृत राशि बजट मुख्यशीर्ष–"2225–अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–001–निदेशन एवं प्रशासन–0001–राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्राथमिक इकाई 001.3104–सहायक अनुदान–वेतन एवं 0001. 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन मांग सं0–44 विपत्र कोड 44-2225020010001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

2– इस राशि की निकासी उपनिदेशक (मुख्यालय) अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से किया जायेगा तथा बैंक ड्राफट के माध्यम से एक मुश्त राशि सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17–4–98, 3578 दिनांक 31. 05.2017, 4573 दिनांक 04.07.2017 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

4– व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का अलग से लेखा संधारण किया जायेगा एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा से करेंगे।

5– इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

6– सचिव राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार,पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक– 31–3–2018 तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा देगें।

7– इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.10.17

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–8डी0(आयोग)–33–17 / 2017 69 पटना, दिनांक– 13/10/2017

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट) शाखा/ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण/उपनिदेशक (मुख्यालय), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

13.10.17

सरकार के सचिव ।